<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
12.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत राजीव त्यागी और अन्य के मामले में 3.91 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है जिसमें मेसर्स सुआज एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर देहरादून में स्थित 05 आवासीय फ्लैट शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, गाजियाबाद (उप्र) द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, गाजियाबाद और उसके साझेदारों और अन्य के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि राजीव त्यागी अपनी पत्नी श्रीमती मीनू के साथ त्यागी ने अपनी साझेदारी फर्म अर्थात मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, गाजियाबाद के माध्यम से अन्य सहयोगियों/गारंटरों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और बैंक (पूर्ववर्ती कॉर्पोरेशन बैंक और अब विलय के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया) से फर्जी/जाली दस्तावेज और गिरवी रखी गई संपत्तियों के बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करके बैंक को धोखा देने के इरादे से ऋण/वित्तीय सुविधाएं प्राप्त कीं।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि बैंक से लिए गए ऋण/वित्तीय सुविधाओं को उनके व्यक्तिगत खातों या संबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के खातों के माध्यम से स्तरित/विपथित/हेप्टन किया गया था, और बाद में उनका उपयोग ऋण के उद्देश्यों से इतर अन्य कार्यों के लिए किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ऋण चुकौती में चूक हुई, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को भारी नुकसान हुआ।

उक्त मामले में, ईडी ने पहले 17.09.2024 को मेसर्स साईं कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के पार्टनर राजीव त्यागी और उनके बेटों अमर्त्य राज त्यागी और कनिष्क राज त्यागी, मेसर्स एसकेटी गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एस के एंटरप्राइजेज के नाम पर 10.75 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों की कुर्की की थीं। इसके साथ ही, इस मामले में प्रथम और द्वितीय अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के तहत जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य 14.66 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, राजीव त्यागी को धन-शोधन के अपराध में संलिप्त पाए जाने के कारण 16.10.2024 को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में है।

आगे की जांच जारी है।